मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल दिनांक 11 अगस्त, .2006

क्रमांक. 2012 –म.प्र.विनिआ – 2006 – विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 43 (1) सहपठित धारा 181 (2)(टी), धारा 44, धारा 46, सहपठित धारा 181 (1), धारा 47 (1) सहपठित धारा 181 (1), धारा 47 (1) सहपठित धारा 181 (डब्लू), धारा 47 (2,3 एवं 5), धारा 48 (बी), धारा 50 सहपठित धारा 181 (2)(एक्स) एवं धारा 56 तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) की धारा 9 (जे) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 861–विनिआ–04 दिनांक 27 मार्च 2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में निम्न संशोधन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में नवां संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(i) यह संहिता **''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (नवां संशोधन) (क्रमांक एजी–1 (ix), वर्ष 2006)''** कही जावेगी ।

(ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. अध्याय–4 में संशोधन

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अनुच्छेद 4.17'' को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''4.17 यदि उपभोक्ता किसी पूर्ववर्ती अनुबंध जो कि उसके नाम में या उस फर्म या कंपनी जिसके साथ वह पूर्व में भागीदार, निदेशक या प्रबंध निदेशक अथवा परिसर के अधिवासी या स्वामी के रूप में संबद्ध रहा हो पर विद्युत प्रदाय की बकाया या परिसर संबंधी अन्य कोई बकाया राशि है, जहां कि एक नवीन संयोजन (कनेक्शन) हेतु आवेदन किया गया हो तथा ऐसी बकाया राशि अनुज्ञप्तिधारी को देय हो, तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय के आवेदन पर तब तक कोई विचार नहीं किया जावेगा जब तक कि बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता । तथापि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीन संयोजन की स्वीकृति निम्न प्रकरणों में इनकार नहीं की जावेगी :

(i) यदि राज्य शासन द्वारा किसी भी कारण से पट्टे को निरस्त कर दिया जाता है तथा इसे किसी नवीन पक्षकार/उपभोक्ता को आवंटित कर दिया गया हो, ऐसी दशा में नवीन

पक्षकार/उपभोक्ता को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा ।

(ii) यदि सम्पत्ति की कुर्की अथवा उसका विक्रय आयकर विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग अथवा ऐसे किसी अन्य शासकीय विभागों द्वारा उनके बकाया राशि की वसूली बाबत् किया गया हो तो ऐसी दशा में नवीन क्रेता को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा ।

(iii) यदि सम्पत्ति की कुर्की अथवा उसकी बिक्री राज्य अधिनियम/केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गई वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनके बकाया राशि की वसूली बाबत् की गई हो तो ऐसी दशा में क्रेता को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा ।

(iv) यदि किसी कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण पर रिक्त किये गये शासकीय आवास–गृह/फ्लेट के विद्युत प्रभारों की राशि बकाया छोड़ दी जावे तो ऐसी दशा में नवीन अधिवासी को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा ।

(v) यदि न्यायालय द्वारा परिसर के संबंध में बकाया राशि की वसूली न किये जाने बाबत् कोई विशिष्ट आदेश जारी किया गया हो ।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव